

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-15/2025

प्रेषक,

9507

पटना, दिनांक- 3.9.25

आदित्य प्रकाश,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-06 (दरभंगा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया बिहार, पटना।
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल एवं खगड़िया।

विषय : मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष- 001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के किराया एवं महसूल इकाई मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में किराया पर कार्यरत कार्यालयों के मकान किराया भुगतान हेतु कुल ₹ 11.65896 (ग्यारह लाख पैसठ हजार आठ सौ छियानवे) लाख रू0 मात्र की राशि सारणी-1 के अनुसार कार्यालयों के नाम के सामने अंकित राशि के अनुरूप आवंटन प्रदान किया जाता है।

सारणी-1

क्र० सं०	ग्रा० का० वि० के कार्यालय का नाम	ग्रा० का० वि० के कार्यालय का नाम जिनके लिए राशि आवंटित है	किराया की अवधि जिनके लिए राशि आवंटित है	किराया की स्वीकृत दर	(सभी राशि लाख रू० में)	
					अधियाचित राशि (लाख रू० में)	पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्य प्रमंडल, अरवल	कार्य प्रमंडल, अरवल का कार्यालय	मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक	20000/- प्रतिमाह	2.40000	1298/11.08.2025
2	कार्य प्रमंडल, खगड़िया	गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, खगड़िया का कार्यालय	वित्तीय वर्ष-2025-26	9883/- प्रतिमाह	1.18596	1003/02.07.2025
3	मुख्य अभियंता-06 दरभंगा	मुख्य अभियंता-06 दरभंगा का कार्यालय	वित्तीय वर्ष-2025-26	36400/- प्रतिमाह	4.36800	1377/30.07.2025
4	कार्य अंचल, बेतिया	कार्य अंचल, बेतिया का कार्यालय	अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक	19500/- प्रतिमाह	3.70500	1004/20.08.2025
	कुल				11.65896	

2. यह राशि मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के अन्तर्गत 14 01 किराया महसूल एवं कर ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु उपबंधित राशि से विकलित होगी। जिसका विपत्र कोड सं०- 37-2515000010009 है।

3. उक्त आवंटन से किराया महसूल एवं कर ईकाई मद में भुगतान नियमानुसार ही किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगे कि बकाया आदि का भुगतान पूर्व में न की गयी हो।

4. सारणी में अंकित राशि का आवंटन CFMS प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-277/वि० दिनांक 28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृतिदेश सं०-4010 दिनांक-08.04.2025 में निहित निदेशों के आलोक में निर्गत किया गया है।

7. इस आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475 में दिए गए निदेश के आलोक में किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों/नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।

8. आवंटन प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का संचिका सं०-13/अ०प्र०-01-15/2025 के पृ०-31/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-15/2025 9507

/पटना, दिनांक- 3.9.25 29/15

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधित डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-15/2025 9507

/पटना, दिनांक- 3.9.25

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-15/2025 9507

/पटना, दिनांक- 3.9.25

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/संयुक्त सचिव, के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-15/2025 9507

/पटना, दिनांक- 3.9.25

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के अपर सचिव